

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2018-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. ग. र. ज. ज. ज.
 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रशासक (आ.प्र.)
 3. वर्तमान वेतन ए.प. 8 7000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह जिसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① छुर-भोपाल	प्लॉट 9/2 छुर कुंज 63 अंतरा मातोनी	840 Sq feet	40,00,000/-	स्वयं एवं पत्नी के नाम	स्वयं की वसूली एवं लोन देक SBI से	स्वयं का उपभोग	—
② छुर-भोपाल	प्लॉट नं. 268 बावडिया कला प्लॉट नं. 268 रोड नगर	2670 Sq feet	70,00,000/-	स्वयं के नाम	स्वयं की वसूली से पट्टा देती है मित्रों पर	—NIL—	—
③ बावडिया कला	प्लॉट	840 Sq feet	20,00,000/-	स्वयं पति के नाम	—	—NIL—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्ये सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आया उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

शिवराम शर्मा
वरिष्ठ प्रशासक - RCAC
MPCST, BHOPAL